हीनता की दर जो 1971 में 1.4 प्रतिशत थी उसे घटा कर सन् 2000 ईसवी तक 0.5 प्रतिशत करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं का विकास किया गया है :—

(i) मोबाइल यूनिट	80
(ii) जन स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ करण	2000
(iii) जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण	404
(iv) मेडिकल कालेजों के नेत्र विज्ञान विभाग का दर्जा बढ़ाना	58
(v) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों की स्थापना	9
(vi) जिला मोबाइल यूनिटों की स्थापना	30
(vii) राज्य नेत्र-विज्ञान सेल की स्थापना	18
(viii) नेत्र सहायकों के लिये प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना	37

मोबाइल शिविर योजना के माध्यम से नेत्र परिचर्या की सेवाएं दूर दराज के ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में प्रदान की जाती हैं। स्वैच्छिक संगठन भी इस कार्यक्रम विशेषकर दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या शिविरों का आयोजन करने में लगे हुये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक नेत्र शिविर के लिये प्रति इन्ट्रा-आकुलर आपरेशन के लिये 60/—रुपये की दर से अधिक से अधिक 12000/—रुपये तक की सहायता स्वीकार्य है।

Amendment of the Prevention of Food Adulteration Act

2372. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Prevention of Food Adulteration Act to make it obligatory for manufacturers and traders to pay compensation to the purchasers of adulterated foodstuffs in the event of any harm caused to them due to their use; and

(b) if so, by when that amendment is proposed to be brought belore Parliament?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI S. KRISHNA KUMAR)-(a) Yes, Sir.

(b) The Bill will be introduced in the Parliament as soon as it is ready.

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान

2373. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1985 में आगरा के निकट छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की दुर्घटना में उन मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक मुआवजे की अदायगी नहीं की गयी है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इस दुर्घटना में 40 व्यक्ति मारे गये और 33 घायल हुए थे।

(2) तदर्थ दावा आयुक्त, आगरा के न्यायालय में मृत्यु, चोट और सम्पत्ति की हानि के संबध में क्षतिपूर्ति के लिए 77 आवेदन पत्र दायर किये गये थे, इन दावों में से, तदर्थ दावा आयुक्त ने 13 आवेदन पत्र रद्द कर दिये हैं और 43 आवेदन पत्र उनके निर्णय के लिए लम्बित हैं।

इन्दौर और भोपाल के बीच अन्तर-नगरीय द्रुतगामी रेल सेवा

2374. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर और भोपाल के बीच अन्तर-नगरीय द्रुतगामी रेल सेवा चलाने की कोई मांग की गई है और यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में सर्वेक्षण कराकर कोई निर्णय लिया है ?